

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

शाफ़ला

बनाम

शंकर

किस्म मुकदमा

नं.

सन्

2021

तारीख हुकम	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---	---

वकील पार्थी द्वारा शाफ़ला पत्र अन्तर्गत धारा 136 Cr.P.C.

विरुद्ध शंकर पेश किया गया। पार्थी पत्र बाद जाँच

दर्ज रजिस्टर किया जाकर शंकर की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक

8/6/21 को पेश हो। शंकर

8/6/21

पत्रावली पेश हुई। पार्थी अधिवक्ता उपस्थित
 अधिवक्ता का कहना सुनी गई। लक्ष्मीलक्ष्मी
 केस का अनुवृत्त रिपोर्ट शा.मा. कागज़
 तहसीलदार केस रिपोर्ट के आधार पर
 पत्रावली पर स्वीकार किया जाता है किनीय
 पृथक से तिव्या जाकर शा.मा. किया गया
 पत्रावली फ़ैसल मुकाम नम्बर से कम
 हो। शंकर



—: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः अनलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाम ग्राम— **मीमपुरा** पटवार मण्डल—**कागा**

पुर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
	मेहबूब खाँ पुत्र नूर मोहम्मद खाँ जाति कायमखानी	173 214 235 236 242	0.8473 है0	आफताब अहमद खाँ कायमखानी पुत्र नूर मोहम्मद खाँ जाति कायमखानी	173 214 235 236 242	0.8473 है0

क्रमांक : 126/2021
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

दिनांक : 8.6.2021

1. तहसीलदार बनेड़ा।

15/500
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

क्रमांक :
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

दिनांक : 8.6.2021

1. तटवारी हल्काको भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

15/500
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

तहसीलदार बनेड़ा